उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–1043–कार्य/चौदह–पाकालि/2019–3–के/2000 दिनांक: 14 जून, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ,
केस्को, कानपुर।

विषय :– सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन माह पूर्व वित्तीय अधिकारों पर नियंत्रण के सम्बन्ध में।

कारपोरेशन के संज्ञान में आया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन माह पूर्व की अवधि में उपलब्ध बजट से अधिक क्रय/कार्य के आदेश निर्गत किये गये हैं। जिस कारण से जहाँ कारपोरेशन के सीमित संसाधनों का दुरूपयोग हो रहा है, वहीं इस प्रकार लिये गये निर्णयों के परिणाम स्वरूप वितरण निगमों की अनियंत्रित वित्तीय देनदारियाँ भी बन रही है।

इसी सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 962–कार्य/चौदह–ए/राविपा/98–60के/90 दिनाँक 16.03.1998 एवं तत्क्रम में कार्यालय ज्ञाप सं0 2219–कार्य/चौदह–ए/राविपा/98–60के/90 दिनाँक 20.08.1998 (छायाप्रति संलग्न) में आदेशित है कि समस्त सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि अपनी सेवानिवृत्ति से तीन माह पूर्व की अवधि में सामान्य रूप से क्रय/कार्य आदेश नहीं करेंगें, अपरिहार्य परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित अधिकारी अपने से उच्च स्तर के अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करेंगें। उक्त आदेशों में उच्च स्तर के अधिकारी को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों द्वारा उपरोक्त प्रतिबन्ध का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व भी निर्धारित किया गया है।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञापों में निहित आदेशों का क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे कि कारपोरेशन के संसाधनों का दुरूपयोग न होने पाये।

संलग्नक : यथा उपरोक्त।

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 1043–(1)–कार्य/चौदह–पाकालि/2019 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य), समस्त डिस्काम।
5. महा निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूती खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

7. अपर सचिव–I,II,III, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
9 महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध), समस्त डिस्काम एवं केस्को–कानपुर।
11. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार), समस्त डिस्काम एवं केस्को–कानपुर।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

(4)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग
लखनऊ

सं0 962-कार्य/चौदह-स-राविप/98-60 के/90 दिनांक 16 मार्च 1998

कार्यालय ज्ञाप
==========

परिषदीय आदेश सं0 2562-कार्य/चौदह-स/राविप/90-60 के/90 दिनांक 24-11-90 द्वारा परिषद की पारेषण, वितरण एवं उत्पादन इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों को परिषदीय कार्य सुचारु रूप से संचालन करने के उद्देश्य से भण्डार सामग्री के क्रय एवं कार्य कराने हेतु क्रय/कार्य आदेश निर्गत कराने के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। इनके अनुसार अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, स्तर-2 एवं मुख्य अभियंता, स्तर-1 के अधिकारियों को कोई व्यक्तिगत अधिकार प्रदत्त नहीं किये गये हैं वरन उनके स्तर पर क्रय/कार्य समितियों का गठन किया गया है। अतः इस स्तर के अधिकारियों द्वारा कोई कार्य/क्रय आदेश निर्गत नहीं किया जाना है। सम्बन्धित क्रय/कार्य समितियों के अनुमोदनोपरांत वांछित आदेश अधिशासी अभियंता के स्तर से ही निर्गत किया जाना अपेक्षित है।

2- परिषद के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि निकट भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों द्वारा अगले तीन माह में भण्डार सामग्री की संभावित आवश्यकता का आंकलन किये बिना ही बड़ी मात्रा में क्रय आदेश कर दिये जाते हैं जिससे एक ओर परिषद के सीमित वित्तीय संसाधनों का अपव्यय होता है एवं दूसरी ओर भण्डार सामग्री लम्बी अवधि तक भण्डार अप्रयोज्य में पड़े रहने के कारण खराब होने की संभावना भी बनी रहती है।

3- अतः तत्काल प्रभाव से यह आदेश दिये जाते हैं कि अपनी सेवा निवृत्ति की तिथि के तीन महीने पूर्व अधिशासी अभियंता एवं उच्च स्तर के अधिकारी सामान्य रूप से कोई क्रय/कार्य आदेश नहीं करेंगे। परिषद के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के उद्देश्य से अपरिहार्य परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर क्रय/कार्य आदेश करने से पूर्व आंकलित मात्रा एवं दरों का अनुमोदन सम्बन्धित अधिकारी के उच्चतर स्तर के अधिकारी तथा/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता स्तर-1/महाप्रबन्धक के स्तर के अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करके ही किये जायेंगे। मात्राओं/दरों का अनुमोदन करते समय अनुमोदन देने वाले अधिकारी भण्डारों में उपलब्ध मात्राओं एवं पूर्व में अनुमोदित दरों को संज्ञान में लेते हुये ही अनुमोदन प्रदान करेंगे। दरों/मात्राओं में अनियमितता पाये जाने की

स्थिति में इस प्रकार का अनुमोदन देने वाले अधिकारी (ही) वित्तीय अनियमितता के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

अध्यक्ष

सं० 962(1)/(कार्य/चौदह-म/रावि०प/98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. सदस्य, वितरण/पारेषण/उत्पादन/वित्त एवं लेखा उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
2. मुख्य अभियंता (पारेषण), उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
3. मुख्य अभियंता, वितरण, मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, उत्तरांचल ।
4. समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियंता (वितरण) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ।
5. मुख्य अभियंता पारेषण, पूर्व /पश्चिम /मध्य, उ0 प्र0 देश राज्य विद्युत परि
6. समस्त अधीक्षण अभियंता वितरण/पारेषण, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
7. निदेशक, लेखा प्रशासन, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद लखनऊ ।
8. निदेशक आंतरिक सम्प्रेक्षा, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
9. समस्त मुख्य लेखाधिकारी (वितरण आंचल)
10. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी, (वितरण एवं पारेषण क्षेत्र) उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
11. समस्त अधिशासी अभियंता वितरण/पारेषण, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद

आज्ञा से

(एस० एस० रिजवी)
संयुक्त सचिव (कार्य)

(1)

(802)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग,
लखनऊ।

संख्या:2219-कार्य/चौदह-ए/राविप/98-60के/90

दिनांक:20अगस्त, 1998

समस्त महाप्रबन्धक, तापीय/जल विद्युत परियोजना,
मुख्य अभियन्ता (वितरण-मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/उत्तरांचल),
मुख्य अभियन्ता (पारेषण), लखनऊ,
मुख्य अभियन्ता (पारेषण-पूर्व/पश्चिम/मध्य),
मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध)/मुख्य अभियन्ता एवं नियंत्रक सामग्री प्रबन्ध,
मुख्य अभियन्ता, तापीय परिकल्पना एवं अभियन्त्रण इकाई।

विषय:- सेवा निवृत्ति की तिथि से तीन माह पूर्व वित्तीय/प्रशासनिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में।

महोदय,

परिषद के संज्ञान में यह दृष्टान्त आये थे कि कतिपय अधिकारियों द्वारा अपनी सेवा निवृत्ति से पूर्व अगले तीन माह में सम्भावित आवश्यकता से अधिक मात्रा में भण्डार सामग्री क्रय कर ली गयी जिसके कारण परिषद के सीमित संसाधनों का दुरूपयोग भी हुआ है। अतः परिषदीय कार्यालय ज्ञाप संख्या:962-कार्य/चौदह-ए/राविप/98-60के/90 दिनांक 18.3.98 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि अधिशासी अभियन्ता स्तर से ऊपर के अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन माह पूर्व सामान्य रूप से कोई क्रय/कार्यादेश नहीं करेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर यह आदेश दिये गये थे कि कार्य/क्रयादेश निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी से उच्चतर स्तर के अधिकारी यथा अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/महाप्रबन्धक के स्तर के अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

2. इसी प्रकार, परिषदादेश संख्या:953-अ0प0(2अ)/राविप/98-1-ई0एम0(2ए)/98 दिनांक 16.3.98 द्वारा यह निर्देश भी दिये गये थे कि जिन अधिकारियों की सेवा निवृत्ति में तीन माह शेष रह गये हों वे सामान्य रूप से अपने अधीनस्थ तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश निर्गत नहीं करेंगे। अपरिहार्य कारणों से यदि इन अधिकारियों द्वारा किन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश निर्गत करना आवश्यक हो तो वे अपने स्तर से उच्च स्तर के अधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके ही वांछित स्थानान्तरण आदेश निर्गत करेंगे।

3. परिषद के संज्ञान में आया है कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन माह पूर्व की अवधि में उपरोक्त वर्णित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर लगाये गये प्रतिबन्धों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है और न ही इन अधिकारियों से उच्चतर स्तर के अधिकारी यह ~~सुनिश्चित करते हैं कि~~

सुनिश्चित करते हैं कि उनके अधीनस्थ तैनात सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों द्वारा इन वित्तीय एवम् प्रशासनिक प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है । यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है । अतः, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अपनी सेवानिवृत्ति से तीन माह पूर्व की अवधि में उपरोक्त वर्णित वित्तीय एवम् प्रशासनिक प्रतिबन्धों का किसी भी दशा में उल्लंघन न हो अन्यथा की स्थिति में, सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने वाले लाभों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है । इसके अतिरिक्त ऐसे अधिकारियों से उच्चतर स्तर के अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों द्वारा इन वित्तीय/प्रशासनिक प्रतिबन्धों का पूर्ण रूप से पालन किया गया, अन्यथा की स्थिति में उनकी कार्यदक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है ।

भवदीय,

(परशुराम सिंह)
सचिव

संख्या:- 2219 (1)-कार्य/चौदह(अ)/राविप-तद्दिनांक

प्रतिलिपि सदस्य (वितरण), (पारेषण), (उत्पादन), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे स्वयं यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ तैनात समस्त अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्त से तीन माह पूर्व की अवधि में लगाये गये वित्तीय प्रतिबन्धों/प्रशासनिक प्रतिबन्धों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है एवम् उनके अधीन तैनात मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/(स्तर-2) के अधिकारी सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन माह पूर्व इन प्रतिबन्धों से अन्यथा कोई कार्यवाही करने के पूर्व उनका अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लें ।

(एम०एस० रिजवी)
संयुक्त सचिव

संख्या:- 2219(1)-कार्य 14(डी)/98तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, वितरण/पारेषण, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
2. निदेशक, सेवा प्रशासन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

क्रमशः.....3

3. नियंत्रक, आंतरिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।

4. समस्त मुख्य लेखाधिकारी (वितरण आँचल)

5. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी (वितरण एवम् पारेषण क्षेत्र), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ।

6. समस्त अधिशासी अभियन्ता वितरण/पारेषण, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ।

21/8/98

(एम0एस0 रिजवी)
संयुक्त सचिव (कार्य)